

नगर परिषद, किशनगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KISHANGARH/FIRENOC/2025-26/57993
जारी दिनांक: 04-OCT-2025 वैधता दिनांक: 03-OCT-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: JOBAN MATHEW
आवेदक का पता: SECTOR 3 RAJINDER NAGAR SAHIBABAD GHAZIABAD UP

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ST. PAUL SCHOOL, KH. NO. 482/1 48212 482/13, NEAR MAYURA CITY, KHODA GANESH ROAD MADANGANJ, KISHANGARH, AJMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र, जारी करने की तिथि से नियत अवधि तक मान्य होगी। अवधि पूर्ण होने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्क्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- यह प्रमाण पत्र मात्र अग्निशमन की अनापत्ति हेतु जारी किया जा रहा है जो कि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व के रूप में इस प्रमाण-पत्र का उपयोग नहीं किया जावेगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Sita Verma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KISHANGARH, Rajasthan
Date: 04/10/2025 10:46:24



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, किशनगढ़